विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, (द.वि.वि.नि.लि.),

कानपुर मण्डल, कानपुर ।

परिवाद संख्या - 27/2021

मै. जसवन्त नगर कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि., चिमरा रोड, जसवन्त नगर, इटावा, जिरये डायरेक्टर श्री अशोक गर्ग, पुत्र स्व. जुगल किशोर गर्ग, निवासी मकान नं. 10/505, एलेनगंज, कानपुर नगर ।

------- परिवादी

बनाम

अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (तृतीय) (द.वि.वि.नि.लि.), सैफई, इटावा ।

-------विपक्षी

अध्यासीन (उपस्थित) : (1) श्री संतोष कुमार तिवारी (कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य)
(2) श्री संजीव कुमार गुप्ता (सदस्य/अनु.)

निर्णय

परिवादी मै. जसवन्त नगर कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि., चिमरा रोड, जसवन्त नगर, इटावा, जिरये डायरेक्टर श्री अशोक गर्ग, पुत्र स्व. जुगल किशोर गर्ग, निवासी मकान नं. 10/505, एलेनगंज, कानपुर नगर के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता श्री एस. के. श्रीवास्तव द्वारा परिवाद इस आशय से दाखिल किया गया है कि परिवादी से रु. 20,00,000/- का भुगतान दिनांक 02.08.2021 को विपक्षी द्वारा अनाधिकृत रुप से प्राप्त किया गया है , उक्त भुगतान की तिथि से उसी रेट पर जिस रेट पर विभाग लेट पेमेन्ट सरचार्ज उपभोक्ता से प्राप्त करता है, के साथ भुगतान करें अथवा परिवादी का जब तक रु. 20,00,000/- का समायोजित मय ब्याज के उपरोक्तानुसार न हो जाये, भुगतान प्राप्त न करे एवं माहवारी बिलों मे स्थागित निर्धारण का आधी धनराशि पर विपक्षी द्वारा अपील के निर्णय तक लेट पेमान्ट सरचार्ज बिल में जोड़कर न दें तथा उसका भुगतान हेतु परिवादी को परिवादी को बाध्य न करें एवं उक्त लेट पेमेन्ट सरचार्ज का भुगतान न होने पर परिवादी के विद्युत का विच्छेदन न करें और विपक्षी को आदेशित किया जाये कि परिवादी द्वारा जमा सिक्योरिटी पर जबसे ब्याज नहीं दिया है, ब्याज की रकम परिवादी को वापस करें अथवा परिवादी के बिलों में समायोजित करने का आदेश बिपक्षी को प्रदान कराने को दिया जाये ।

परिवादी के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता द्वारा परिवाद (का.सं. 1/1 ता 1/7 एवं संलग्नक का.सं. 1/8 ता 1/21) दाखिल किया गया । धारा 1 में यह अभिलिखित किया गया है कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा परिवादी को 250 के.वी.ए. का विद्युत कनेक्शन सं. 781726629792 कोल्ड स्टोरेज हेतु दिया गया तथा विपक्षी द्वारा परिवादी की बिलिंग एच. बी. कैटेगरी के अन्तर्गत की जा रही है । धारा 2 में यह अभिलिखित किया गया है कि परिवादी के यहाँ एक रेड दिनांक 21.07.2020

आगे जारी है ।

को हुयी थी एवं परिवादी की विद्युत का विच्छेदन कर दिया गया था जिसकी चेकिंग रिपोर्ट संख्या 2329/02 है। धारा 3 में यह अभिलिखित किया गया है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को उक्त रेड रिपोर्ट के आधार पर फाइनल बिल नहीं दिया जा रहा था, न ही परिवादी की विद्युत जोड़ी जा रही थी, अतः परिवादी ने दो याचिकायें माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की जिसकी याचिका संख्या 3712/2021 एवं 8458/2021 है। अन्ततोगत्वा उक्त याचिकाओं में आदेश के बाद परिवादी को फाइनल बिल रु. 1,23,56,883/- का बिल दिया गया था। धारा 4 में यह अभिलिखित किया गया है कि परिवादी को उक्त बिल इस शर्त पर दिया गया कि परिवादी उक्त धनराशि को किश्तों में जमा करने हेतु शपथपत्र दे तथा उक्त धनराशि जमा करने हेतु पोस्ट डेटेड चेक दे व शपथपत्र दाखिल करें। यद्दपि कि उच्च न्यायालय द्वारा केवल फाइनल बिल देने हेतु आदेश किया गया था। धारा 5 में यह अभिलिखित किया गया है कि परिवादी की विद्युत विच्छेदित चल रही थी अतः परिवादी ने तुरन्त ही उक्त निर्धारण बिल की आधी धनराशि मुबलिग रु. 62,00,000/- जमा करा दी तथा शेष राशि का भुगतान जमा कराने हेतु पोस्ट डेटेड दो चेकों विपक्षी को दे दी थी एवं विपक्षी द्वारा परिवादी की विद्युत का पुनः सम्बन्ध स्थापित करा दिया गया। धारा 6 में यह अभिलिखित किया गया है कि विधि के अनुसार किसी भी निर्धारण बिल के विरुद्ध धारा 127 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत कमिश्नर महोदय के यहं आधी धनराशि जचमा कराकर अपील दाखिल करने का प्रवाधान है, अतः परिवादी ने उक्त निर्धारण बिल रु. 1,23,56,883/- के विरुद्ध विधि अनुसार अपील दिनांक 18.06.2021 को प्रस्तुत कर दी है। धारा 7 में यह अभिलिखित किया गया है कि विद्युत अधिनियम की धारा 127 के अनुसार केवल आधी धनराशि जमा कराने का प्रावधान है अर्थात शेष आधी धनराशि जमा कराने का औचित्य अपील के निस्तारण के उपरान्त ही अपील के आदेशानुसार ही देय होती है। विपक्षी शेष आधी धनराशि अपील के निस्तारण के उपरान्त अपील के आदेशानुसार मांग सकता है अथवा शेष आधी धनराशि न जमा करने पर विद्युत का विच्छेदन अथवा अन्य कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है न ही पूर्व में दिये गये दो पोस्ट डेटेड चेक की धनराशि की मांग कर सकता है। धारा 8 में यह अभिलिखित किया गया है कि दिनांक 18.06.2020 को अपील प्रस्तुत करने के साथ ही शेष आधी धनराशि को स्थतिग करने हेतु प्रार्थना पत्र कमिश्नर, कानपुर महोदय के यहां दे दिया गया था एवं विपक्षी को नोटिस देने के उपरान्त कनिश्नर महोदय के यहां स्थगन प्रार्थना पत्र विपक्षी की जानकारी में सुनवायी पूर्ण कर ली गयी थी परन्तु कमिश्नर महोदय के प्रशासनिक कार्य में व्यस्त होने के कारण वह आदेश नहीं कर पाये थे। अन्ततोगत्वा कमिश्नर महोदय ने दिनांक 16.08.2021 को आदेश पारित किया एवं निरर्धारण बिल की आधी धनराशि की रिकवरी स्थगित की तथा विद्युत सम्वन्ध पुनः स्थापित करने का आदेश किया। धारा 9 में यह अभिलिखित किया गया है कि विधि के अनुसार यदि निर्धारण बिल का आधी धनराशि जमा कराकर अपील प्रस्तुत कर दी जाती है तो शेष आधी धनराशि का भुगतान न होने पर विपक्षी को कोई अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह शेष निर्धारण बिल की आधी धनराशि का भुगतान न होने के कारण परिवादी की विद्युत का विच्छेदन कर दे परन्तु जाकारी होने के बावजूद विपक्षी ने परिवादी की

आगे ज़ारी है।

विद्युत का विंच्छेदन निर्धारण बिल की शेष आधी धनराशि का भुगतान न होने के कारण अथवा दिये गये चेक का भुगतान न होने के कारण दिनांक 27:07.2021 को कर दिया गया। अतः विपक्षी द्वारा विद्युत का विच्छेदन दिनांक 27.07.2021 विधि विरुद्ध है तथा उक्त विच्छेदन के फलस्वरुप परिवादी को जो नुकसान हुआ है उक्त नुकसान की पूर्ति हेतु अधिशाषी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता विभाग के अतिरिक्त स्वयं भी जिम्मेदार है। धारा 10 में यह अभिलिखित किया गया है कि विपक्षी द्वारा जो चेक परिवादी से प्राप्त किया गया थी उसमें एक चोक रु. 20,00,000/- का था एवं विपक्षी द्वारा परिवादी को चेक डिस्आनर की कार्यवाही की धमकी देकर एवं परिवादी को रु. 20,00,000/- का भुगतान करने हेतु मजबूर कर दिनांक 02.08.2021 को रु. 20,00,000/- प्राप्त कर लिया जिसका उन्हें किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः विपक्षी उपरोक्त रु. 20,00,000/- एवं जिस रेट पर विपक्षी अन्य उपभोक्ताओ से लेट पेमेन्ट सरचार्ज लेता है उसी रेट पर सरचार्ज सहित वापस करने हेतु बाध्य है अथवा जब तक उपरोक्त रु. 20,00,000/- का समायोजन न हो जाये तब तक विपक्षी, परिवादी से बिल की मांग नहीं कर सकता है। धारा 11 में यह अभिलिखित किया गया है कि विधि में निर्धारण की आधी धनराशि जमा होने के पश्चात शेष आधी धनराशि का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार विपक्षी को नहीं है तथा उक्त आधी धनराशि कमिश्नर महोदय द्वारा अपील में स्थगित भी कर दी गयी है। विपक्षी उक्त शेष आधी धनराशि पर लेट पेमेन्ट सरचार्ज लेने का अधिकारी नहीं है अथवा मांगने का अधिकार नहीं है परन्तु विपक्षी द्वारा परिवादी को जो रेगुलर माहवारी बिल दिया जा रहा है उस बिल में अनाधिकृत रुप से सरचार्ज की धनराशि का बिल दे रहा है एवं मांग कर रहा है जो गलत है। अतः बिलों में लेट पेमेन्ट सरचार्ज की मांग बिल में जोड़कर दिया जाना गलत है एवं उसका भुगतान न होने पर विपक्षी को किसी भी कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। धारा 12 में यह अभिलिखित किया गया है कि परिवादी की विद्युत का अवैध विच्छेदन जो दिनांक 27.07.2021 को किया गया था एवं उसका पुनः सम्बन्ध दिनांक 18.08.2021 को किया गया। इस बीच परिवादी को लगभग रु. 10,00,000/- का नुकसान हुआ है जिसके लिये विपक्षी स्वयं विभाग के साथ साथ जिम्मेदार है। धारा 13 में यह अभिलिखित किया गया है कि परिवादी द्वारा सिक्योरिटी भी जमा की गयी है जिस पर वह ब्याज पाने का अधिकारी है परन्तु लगभग पांच वर्षो से उसे सिक्योरिटी पर ब्याज नहीं दिया जा रहा है जो विधि अनुसार गलत है। धारा 14 में यह अभिलिखित किया गया है कि वाद का कारण प्रथमतः दिनांक 18.06.2021 को चालू हुआ जब परिवादी द्वारा निर्धारण की आधी धनराशि जमा कराकर अपील प्रस्तुत की गयी एवं पुनः दिनांक 27.07.2021 को जब निर्धारण की आधी धनराशि जमा कराकर अपील प्रस्तुत करने के उपरान्त भी विद्युत का विच्छेदन कर दिया गया। पुनः दिनांक 02.08.2021 को जब परिवादी को धमकी देकर रु. 20,00,000/- का भुगतान विपक्षी द्वारा प्राप्त कर लिया गया तथा उसके पश्चात जो माहवारी बिल विपक्षी द्वारा दिया जा रहा है उसमें बिना रु. 20,00,000/- के समायोजन के लेट पेमेन्ट सरचार्ज जोड़कर दिया जा रहा है तत्पश्चात प्रत्येक दिन। धारा 15 में यह अभिलिखित किया गया है कि परिवादी का

आगे जारी है।

कोल्ड स्टोरेज जसवन्त नगर, इटावा में हे कनेक्शन, डिस्कनेक्शन एवं बिल भी इटावा में दिये जा रहे हैं विपक्षी का आफिस भी सैफई इटावा में है जो इस फोरम के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। अतः इस फोरम को यह वाद सुनने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

विपक्षी द्वारा जवाबदावा (का.सं. 4/1 ता 4/8 एवं संलग्नक का.सं. 4/9 ता 4/18) दाखिल किया गया है। धारा 1 के कथन स्वीकार है। धारा 2 का कथन स्वीकार है। यहां यह बताना आवश्यक है कि परिवादी के विद्युत कनेक्शन स्थित परिसर को विभाग के प्रर्वतन दल के द्वारा दिनांक 21.07.2020 को चेक करने पर उपभोक्ता को विद्युत का चोरी से प्रयोग करते हुये पाया गया था। जिसके कारण उसके विरुद्ध विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही की गयी। उपभोक्ता के द्वारा विद्युत का चोरी से प्रयोग करना धारा 135 विद्युत अधिनियम 2003 तथा संशोधित 2007 के तहत दण्डनीय अपराध है। विद्युत चोरी से सम्बन्धित प्रकरण पर तथा उससे सम्बन्धित राजस्व निर्धारण पर तथा उक्त निर्धारण की वसूली के संदर्भ में माननीय फ़ोरम को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। मात्र इस आधार पर ही परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है। चेकिंग रिपोर्ट व प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि क्रमशः संलग्नक 1 व 2 है। धारा 3 के कथन पूर्णतया असत्य व अस्वीकार है। परिवादी को पूर्व में उसके प्रतिवेदन पर अन्तिम राजस्व निर्धारण बिल रु. 3,33,54,110.00 का जारी किया गया था। जिस पर परिवादी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट पिटीशन सी नम्बर 3712 वर्ष 2021 मेसर्स जसवन्त नगर कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि. प्रति स्टेट ऑफ यू. पी. आदि से दाखिल किया था। जिसमें परित आदेश दिनांक 05.02.2021 के अनुसार उपभोक्ता को पुनः सुनवाई का अवसर देते हुये अन्तिम निर्धारण बिल जारी करने हेतु कार्यवाही की जा रही थी कि परिवादी ने पुनः एक रिट सी 8458 वर्ष 2021 की मान. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल की। जो कि दिनांक 18.03.2.21 को निरस्त कर दी गयी। परिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये उसकी सहमति से रु. 1,23,56,883.00 का जारी किया गया। परिवादी के द्वारा उक्त बिल को चार भागो में जमा करने हेतु विपक्षी के कार्यालय में एक सपथ पत्र दिनांकित 25.05.2021 प्रस्तुत किया जिसमें यह आग्रह किया कि उसने रु. 62,00,000.00 जरिये आर. टी. जी. एस. दिनांक 27.05.2021 को विभाग में जमा कर दिया है। तथा अवशेष धनराशि को 3 किस्तो में निम्न प्रकार से वर्णत है, को जमा करने हेतु आग्रह किया तथा 3 चेक जिसमें दो चेक रु. 20 – 20 लाख की तीसरी रु. 21,56,883.00 की क्रमशः चेक नम्बर 003848 दिनांक15.07.2021, चेक संख्या 003849 दिनांकित 15.08.2021 व चेक संख्या 003850 दिनांक 15.09.2021 समस्त चेके एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. की प्रस्तुत करी गयी। उक्त चेको को व सपथ पत्र को विभाग के द्वारा लेकर उसके विद्युत कनेक्शन को विधिक प्रावधानों के अनुसार जोड़ने की कार्यवाही की गयी। इस शपथ पत्र की फोटो प्रतिलिपि जवाबदावे का संलग्नक – 3 है तथा राजस्व निर्धारण बिल की फोटो प्रतिलिपि संलग्नक – 4 है। धारा 4 के कथन असत्य व अस्वीकार है परिवादी के द्वारा स्वमेव शपथ पत्र दिनांकित 28.05.2021 दिया

आगे जारी है।

गया था तथा उक्त शपथ पत्र में ही उसके द्वारा यह वर्णित किया गया कि उसे अन्तिम राजस्व निर्धारण बिल रु. 1,23,56,883.00 पत्र संख्या 1084/वि.वि.ख.तृ.सै./रा.नि. दिनांक 04.05.2021 के माध्यम से दिनांक 24.05.2021 को प्राप्त हुआ तथा इस शपथ पत्र में उसके द्वारा रु. 62 लाख दिनांक 27.5.2021 को आ.टी.जी.एस. जरिये एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. से भुगतान करना वर्णित किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि परिवादी के द्वारा स्वयं की राजस्व निर्धारण से सहमति व्यक्त करते हुये रु. 62 लाख दिनांक 27.05.2021 को जमा किया तथा शेष धनराशि की 3 चेके जिसमें दो प्रत्येक 20 – 20 लाख की व तीसरी रु. 21,56,883.00 क्रमशः दिनांकित 15.07.2021, 15.08.2021 व 15.09.2021 एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. की दी गयी जिनका पूर्ण विपरण पूर्व के पैरा में वर्णित किया जा चुका है। जिससे स्पष्ट है कि परिवादी को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.02.2021 के अनुसार अन्तिम राजस्व निर्धारण बिल जारी किया गया। धारा 5 के कथन जिस प्रकार लिखे गये है अस्वीकार है। परिवादी से दबाव पश कोई भी धनराशि विपक्षी विभाग के द्वारा प्राप्त करने की कार्यवाही नहीं की गयी। बल्कि विधिक प्रावधानों के अनुसार राजस्व निर्धारण के अनुसार बिल जारी कर राजस्व की प्राप्ति की गयी। धारा 6 के कथन में यह बताना आवश्यक है कि परिवादी के द्वारा राजस्व निर्धारण बिल के सम्बन्ध में अपनी प्रस्तुत की गयी। जिसके संदर्भ में विभाग को सूचना प्राप्त होने पर विधिक प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की गयी। धारा 7 के कथन जिस प्रकार लिखे गये है अस्वीकार है। परिवादी के द्वारा राजस्व निर्धारण की धनराशि सहमति व्यक्त करते हुये निर्धारण किया गया था तथा उसके द्वारा स्वमेव दिनांक 270.5.2021 को रु. 62 लाख आर.टी.जी.एस. से जमा किया गया तथा शेष धनराशि के संदर्भ में 3 चेके प्रदान की गयी जो कि इस आशय से दी गयी थी कि राजस्व निर्धारण की शेष धनराशि का भुगतान विभाग प्राप्त कर सकें तथा उपभोक्ता पर लेट पेमेन्ट सरचार्ज की जिम्मेदारी अधिक न हो सकें। धारा.8 के कथन असत्य व अस्वीकार है कि विपक्षी की जानकारी में स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होकर आदेश पारित हुआ हो। विपक्षी विभाग को स्थगन आदेश की जानकारी प्रथम बार जानकारी परिवादी के द्वारा विभाग में प्रेषित किये गये पत्र दिनांक 18.08.2021 से प्राप्त हुयी। जिसके अनुसार उसके विद्युत कनेक्शन को जुड़वा दिया गया। इस पत्र की फोटो प्रतिलिपि जवाबदावे का संलग्नक 5 है। धारा 9 के कथन जिस प्रकार लिखे गये है अस्वीकार है। परिवादी के द्वारा राजस्व निर्धारण बिल से सहमति व्यक्त करते हुये 20 – 20 लाख की दो चेक एक चेक रु. 21,56,883.00 व रु. बासठ लाख की धनराशि जमा कर सपथ पत्र दिनांकित 28.05.2021 से सूचित किया। जो कि जवाबदावे का संलग्नक 3 है। विपक्षी विभाग के द्वारा अपने कर्त्तव्यों का निस्तारण करते हुये राजस्व निर्धारण धनराशि को प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की गयी। धारा 10 के कथन में यह अस्वीकार है कि परिवादी को धमकी देकर रु. 20 लाख विभाग द्वारा राजस्व निर्धारण के आंशिक भुगतान में प्राप्त किया गया हो। बल्कि परिवादी के द्वारा दी गयी चेक के अनादृत होने पर उससे उक्त चेक धनराशि को जमा करने का आग्रह किया गया। जो कि

आगे जारी है।

विधिक प्रावधानों के अनुसार पूर्णतया सही है। उत्तरित धारा के शेष कथन असत्य व स्वीकार है। परिवादी कथित रु. 20 लाख की धनराशि वापस प्राप्त करने अथवा मासिक बिल में समायोजन प्राप्त करने को अधिकारी नहीं है। उक्त धनराशि के समायोजन अथवा वापसी के संदर्भ में कोई निर्णय लया जाना विधि अनुसार विभाग के लिये तभी सम्भव होगा। जब माननीय आयुक्त महोदय कानपुर मण्डल कानपुर के द्वारा जैसा निर्णय पारित किया जायें। धारा 11 के कथन अस्वीकार है। परिवादी के द्वारा राजस्व निर्धारण बिल को सहमति व्यक्त करने पर ही उक्त राजस्व बिल का अन्तिम निर्धारण किया गया था। तथा परिवादी के द्वारा स्वयं रु. 62 लाख दिनांक 27.05.2021 को जमा करने के उपरान्त शेष धनराशि के संदर्भ में 3 चेक प्रदान की गयी। जिनमें दो 20 -20 लाख की तथा एक रु. 21,56883.00 की थी। जिससे यह स्पष्ट है कि परिवादी राजस्व निर्धारण से पूर्णतया सहमत था जिसके कारण ही उक्त चेको को उसके द्वारा विभाग में जमा करने हेतु शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया। धारा 12 के कथन जिस प्रकार लिखे गये है असत्य व अस्वीकार है। परिवादी के द्वारा चेक धनराशि का भुगतान न करने के कारण उसका कनेक्शन दिनांक 27.07.2021 को विच्छेदित किया गया था तथा माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2021 की सत्य प्रतिलिपि की फोटो प्रतिलिपि परिवादी के पत्र दिनांक 18.08.2021 के प्राप्त होने के उपरान्त उसी दिन विद्युत सप्लाई जोड़ दी गयी। धारा 13 के कथन अस्वीकार है। परिवादी को प्रत्येक वर्ष जमा सिक्योरिटी पर ब्याज दिया जाता है। परिवादी को यदि किन्हीं कारणों से सिक्योरिटी राशि पर ब्याज की प्राप्ति नहीं हो सकी तो उसे उक्त के संदर्भ में अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था। जो कि उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। धारा 14 के कथन असत्य व अस्वीकार है। परिवादी का कारण कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ तथा परिवादी को बिल विधिक प्रावधानो के अनुसार बकाया धनराशि पर ब्याज की गणना कर जारी किया जा रहा है। जो कि पूर्णतया सही है। धारा 15 के कथन असत्य व अस्वीकार है परिवादी का परिवाद धारा 135 विद्युत अधिनियम 2003 तथा संशोधित 2007 के प्रावधानो से सम्बन्धित राजस्व निर्धारण की धनराशि के वसूले जाने से सम्बन्धित है जबकि विद्युत चोरी तथा उससे सम्बन्धित प्रकरण को माननीय फोरम को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। धारा 16 में यह अभिलिखित किया गया है कि परिवादी के द्वारा उपरोक्त परिवाद झूठे एवं मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर दाखिल किया गया है जो कि पोषणीय नही है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 17 में यह अभिलिखित किया गया है कि परिवादी का परिवाद विद्युत चोरी के प्रकरण से सम्बन्धित है जिस पर माननीय फोरम को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। धारा 18 में यह अभिलिखित किया गया है कि परिवादी के द्वारा राजस्व निर्धारण के विरुद्ध अपील माननीय आयुक्त कानपुर मण्डल कानपुर के समक्ष प्रस्तुत की है जो कि अभी विचाराधीन है तथा राजस्व निर्धारण धनराशि रु. 1,23,56,883.00 अभी तक निरस्त नही हुआ न ही उसमे किसी प्रकार के संशोधन के आदेश पारित हुये है जिसके कारण भी परिवादी के द्वारा राजस्व निर्धारण में मद में जमा की गयी धनराशि रु. 20 लाख न तो परिवादी को वापस की जा सकती है और न ही मासिक विद्युत उपभोग के बिल में उस समायोजित किया जा सकता है।

आगे जारी है।

धारा 19 में यह अभिलिखित किया गया है कि परिवादी को किसी भी प्रकार से कोई क्षति नहीं हुयी है तथा विपक्षी विभाग के द्वारा अपने कर्तव्यों को निस्तारण करते हुये राजस्व धनराशि को प्राप्त किया गया है।

निष्कर्ष

पत्रावली के परिशीलन से यह परिलक्षित होता है कि परिवादी के विद्युत कनेक्शन स्थित परिसर में विभाग के प्रर्वतन दल द्वारा दिनांक 21.07.2020 को चेक करने पर उपभोक्ता को विद्युत चोरी करते पाया गया था एवं परिवादी का विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही की गयी एवं सम्बंधित थाने एन्टी पावर थेफ्ट, जनपद इटावा में दिनांक 21.07.2020 को FIR धारा 135 में करायी गयी।

परिवादी द्वारा सम्बंधित प्रकरण पर इस फोरम में वाद दायर किया है इसलिये प्रकरण से सम्बंधित राजस्व निर्धारण एवं निर्धारण की वसूली पर स्थगन या अन्य किसी प्रकार की राहत प्रदान करना फोरम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं है।

उपरोक्त परिस्थितियो में परिवादी द्वारा दाखिल परिवाद पोषणीय नहीं है अतः परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी मै. जसवन्त नगर कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि., चिमरा रोड, जसवन्त नगर, इटावा, जिरये डायरेक्टर श्री अशोक गर्ग, पुत्र स्व. जुगल किशोर गर्ग, निवासी मकान नं. 10/505, एलेनगंज, कानपुर नगर का परिवाद पोषणीय न होने के कारण निरस्त किया जाता है। पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करें।

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु०

(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांकः- 26/09/2022

प्रस्तुत आदेश आज हस्ताक्षरित एंव दिनांकित होकर खुले फोरम में उदघोषित किया गया।

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु०

(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांकः-26/09/2022

Distribution :- (i) परिवादी (ii) विपक्षी (iii) प्रबंध निदेशक (द.वि.वि.नि.लि.) (iv) मुख्य अभियन्ता (वितरण), कानपुर मण्डल, कानपुर (v) रिकार्ड प्रति